उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-60/2016/207(8)/38-1-2016-01 पदोन्नति/2015
लखनऊ: दिनांक: 06 मई, 2016

<u>विज्ञप्ति/पदोन्नति</u>

उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 6600 में कार्यरत श्री हरि शंकर सिंह, जिला विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 7600) के पद पर पदोन्नति के सहर्ष आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- वेतनमान के अनुरूप उक्त चिन्हित तथा रिक्त पद के सापेक्ष श्री सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री सिंह अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेगे।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-60/2016/207(8) (1)/38-1-2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(4) मण्डलायुक्त, फैजाबाद।
(5) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर ।
(6) वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुल्तानपुर ।
(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।